# भरोसेमंद जांच कराने की मांग

**मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि एनएसओ ग्रुप ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, यह उपकरण प्राइवेट पार्टियों को नहीं बेचा जाता, सिर्फ सरकारों को दिया जाता है क्योंकि इसका मकसद आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद करना है।**

आरती सिंह।।

सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर प्रकरण में केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए इसकी विस्तृत और पारदर्शी जांच कराने का फैसला किया और इसके लिए तीन सदस्यों की एक समिति भी गठित कर दी। मीडिया समूहों के एक इंटरनैशनल कॉन्सर्शियम की ओर से करीब तीन महीने पहले आई इस रिपोर्ट ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी कि इस्राइली कंपनी एनएसओ ग्रुप के फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए विभिन्न देशों में नागरिकों की जासूसी कराई गई। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इसके मार्फत भारत में भी 50,000 लोगों के फोन को निशाना बनाया गया। इनमें न केवल नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और बिजनेसमेन बल्कि जिम्मेदार और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी थे। मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि एनएसओ ग्रुप ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, यह उपकरण प्राइवेट पार्टियों को नहीं बेचा जाता, सिर्फ सरकारों को दिया जाता है क्योंकि इसका मकसद आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद करना है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से भारत में भी सबका ध्यान सरकार की ओर गया। संसद में भी यह सवाल उठा और सरकार से इस पूरे मामले की भरोसेमंद जांच कराने की मांग की गई।

मगर सरकार तमाम आरोपों का खंडन करने से आगे नहीं बढ़ी। उसने देश की सुरक्षा का मामला बताते हुए इसमें ज्यादा कुछ कहने से भी इनकार कर दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी कोर्ट के आग्रह के बावजूद सरकार ने न तो विस्तृत हलफनामा दायर किया और न ही स्पष्ट तौर पर यह कहने के लिए तैयार हुई कि सरकार के किसी विभाग ने पेगासस खरीदा है या नहीं और उसका किसी रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार हर मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ लेकर नहीं बच सकती। वैसे कोर्ट ने माना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक हद तक नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन मान्य हो सकता है, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि ऐसा हर उल्लंघन कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समिति की जांच के दायरे को जितना विस्तृत रखा है, उससे साफ है कि वह इस संवेदनशील मामले के हर महत्वपूर्ण पहलू की बारीकी से जांच सुनिश्चित करना चाहता है। बहरहाल, सरकार ने पेगासस मामले में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है या नहीं यह तो जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने यह संदेश जरूर दिया है कि लोकतंत्र में नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को हलके में नहीं लिया जा सकता।

## प्रार्थना स्वीकार

धर्म-दर्शन

**अशोक वोहरा।**

इन सवालों का जवाब मैं आपको एक महीने बाद दूंगा।" राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अवधि पूरी होने पर योगी ने राजा से कहा, "राजन! आप आपको मेरे साथ चलना होगा।" राजा और योगी साथ साथ चल दिए। चलते चलते उन्होंने कई दिन बाद राज्य की सीमा पार की। दूसरे राज्य में पहुंचने पर योगी ने कहा, "राजन! हम लोग जिस राज्य में चल रहे हैं, इस राज्य की राजकुमारी का आज स्वयंबर हो रहा है। चलो, हम उस स्वयंबर को देखकर आगे बढ़ें।" राजकुमारी मंडप में जयमाला लेकर आई और उसने उसे अकस्मात योगी के गले में डाल दिया। स्वयंबर में उपस्थित अन्य राजकुमारो ने कहा, "राजकुमारी से गलती हो गई है। वह फिर से जयमाला डालेंगी।"ल दुहराए। योगी ने कहा, "हे राजन!

## संपादकीय

### आंदोलन की कीमत

आंदोलनों के सियासत पर पड़ने वाले असर को अगर देखें तो यूपीए सरकार की जड़ें हिलाने का काम करप्शन के विरुद्ध चले अन्ना आंदोलन ने ही किया था। तब कांग्रेस ने इस आंदोलन को कमतर आंकने की गलती थी जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। लेकिन बीजेपी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए उस गलती को दोहराना नहीं चाहेगी। बीजेपी के सामने आंदोलन के कारण यूपीए को हुए नुकसान की मिसाल है तो 2004 में शहरी आबादी और मिडिल क्लास को नाराज करने का परिणाम भी वाजपेयी सरकार की हार के रूप में मौजूद है। तब अप्रत्याशित तरीके से एनडीए को शहरी सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन सरकार को पता है कि 2024 का आम चुनाव अभी दूर है और आगे कोर्स करेक्शन के कई मौके मिलेंगे। 2019 में भी आम चुनाव से ठीक पहले किसान हों या मिडिल क्लास, सबकी ऐसी ही नाराजगी की बात सामने आई थी। लेकिन मोदी सरकार ने अपने पहले टर्म के अंतिम बजट में किसान सम्मान निधि का एलान करके और इनकम टैक्स की सीमा पांच लाख रुपये बढ़ाकर इन तबकों का व्यापक समर्थन हासिल किया था। इसके साथ ही मौका आने पर पीएम मोदी चौंकाने वाले फैसले लेने में माहिर हैं। राजनीति के माहिर पीएम मोदी को भी किसान–मजदूर गठबंधन के असर का अंदाजा होगा। इन सबके बीच कांग्रेस को उस तबके में सेंध लगने की उम्मीद दिख रही है जो कुछ सालों में उससे पूरी तरह दूर जा चुका है।

नए कानून के तहत मजदूरों के हड़ताल पर जाने को लेकर तमाम तरह की बंदिशें हैं। इसमें एक अहम बदलाव यह भी है कि कई तरह की फैक्ट्रियों को आवश्यक सेवा में डाल दिया गया, जिससे मजदूरों पर कंपनी के प्रबंधकों का अधिक नियंत्रण आ गया है।

# लेबर कोड पर रस्साकशी के आसार

नरेंद्र नाथ।।

किसान आंदोलन की आंच को अभी कम करने की कोशिश जारी ही थी कि केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए नया मोर्चा खुलने का संकेत दिखने लगा है। यह मोर्चा है कर्मचारी और असंगठित मजदूरों का। अलग–अलग मांगों को लेकर देश के अलग–अलग हिस्सों में हाल के दिनों में इनका विरोध प्रदर्शन हुआ है। 28 नवंबर को मुंबई में मजदूर संगठनों ने एक बड़ी रैली की, जिसका किसान संगठनों ने भी समर्थन किया। साथ ही किसान संगठनों ने एलान किया कि वे मजदूरों के पक्ष में भी लड़ाई लड़ेंगे। दो दिन पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, 'हमने आंदोलन के शुरू में आगाह किया था कि अगला नंबर बैंकों का होगा। नतीजा देखिए, 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ देशभर में साझा आंदोलन की जरूरत है'। दरअसल निजीकरण के खिलाफ देशभर में तमाम सरकारी बैंकों के कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। यह ट्वीट उसके समर्थन में था। किसानों ने अपने साल भर के आंदोलन के बाद सरकार से अपनी मांगों को मनवाकर मजदूर संगठनों को भी राह दिखा दी। जबसे सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, तबसे मजदूर संगठन भी आक्रामक दिखने लगे हैं। और अब इनके साथ किसान–मजदूर गठबंधन भी बनने के संकेत हैं। सरकार और बीजेपी के लिए यह गठबंधन सबसे चिंताजनक हो सकता है। जानकारों के अनुसार, बीजेपी को विपक्षी दलों के गठबंधन से अधिक इस गठबंधन की चिंता करनी चाहिए।

दरअसल, कोविड के बाद आर्थिक दिक्कतों के बीच इस तरह की नाराजगी और आंदोलन तमाम देशों में देखे जा रहे हैं। यह तबका भी बहुत बड़ा और निर्णायक माना जाता है, जो सियासत की राहें बदलने की क्षमता रखता है। किसान संगठन अभी भी एमएसपी पर कानून के लिए जमे हुए हैं तो मजदूर संगठनों को सरकार के नए लेबर कोड से दिक्कतें हैं। लेबर कानून भी कोविड की पहली लहर में आर्थिक पैकेज के तहत कृषि कानून की तरह ही केंद्र सरकार ने बनाया था। इसके तहत पहले के 29 लेबर कानूनों को समेटकर और उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन कर चार लेबर कोड में बदल दिया गया। श्रम संगठन इन चार में दो लेबर रिफॉर्म से तो सहमत हैं, लेकिन बाकी दो के प्रति उनकी बहुत सारी चिंताएं हैं।

नए कानून के तहत मजदूरों के हड़ताल पर जाने को लेकर तमाम तरह की बंदिशें हैं। इसमें एक अहम बदलाव यह भी है कि कई तरह की फैक्ट्रियों को आवश्यक सेवा में डाल दिया गया, जिससे मजदूरों पर कंपनी के प्रबंधकों का अधिक नियंत्रण आ गया है। एक और बड़े बदलाव के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जिन कंपनियों में 300 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें बंद करने के लिए सरकार से किसी तरह की पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। पहले यह सीमा 100 कर्मचारियों तक थी। मजदूर संगठनों का कहना है कि इन दो कानूनों की आड़ में न सिर्फ उनके हितों को मारा जाएगा, बल्कि उनकी नौकरी भी हमेशा असुरक्षित रहेगी। दिलचस्प बात है कि आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ भी इस कानून का विरोध कर रहा है। इस संगठन ने भी सरकार से इस रिफॉर्म पर जल्दबाजी में आगे न बढ़ने का अनुरोध किया है। वहीं मजदूर संगठनों ने संकेत दिया है कि वे आने वाले महीनों में अपना देशव्यापी आंदोलन बढ़ाएंगे। विपक्षी दल भी इन्हें समर्थन दे रहे हैं।

### सूडोकु नवताल-5315

सरल

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8 | | | | 1 | 5 | |
| 2 | | | | | 1 | 8 | | |
| 3 | | | 4 | | 6 | 7 | | 9 |
| 5 | | | | | 9 | | | |
| | 9 | | 2 | 3 | 4 | | 7 | |
| | | | 1 | | | | | 8 |
| 4 | | 7 | 6 | | 5 | | | 1 |
| | | 6 | 7 | | | | | 4 |
| | 5 | 3 | | | | 2 | | |

सूडोकु नवताल -5314 का हल

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 |
| 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 |
| 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 |

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

## अपना ब्लॉग

### आगे बढ़ने की हड़बड़ी नहीं

**मोहन।** किसान आंदोलन से सीख लेते हुए सरकार समय रहते चीजों को ठीक करने में जुटी है। सूत्रों के अनुसार लेबर रिफॉर्म पर भी अब सरकार आक्रामक रूप से आगे बढ़ने की हड़बड़ी नहीं दिखाएगी। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि 2024 से पहले किसान और मजदूर का अपनी वाजिब मांगों पर साथ आना देश की राजनीति का एक अहम मोड़ होगा, जो बीजेपी के पतन का कारण बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह अन्ना आंदोलन का बीजेपी ने लाभ उठाया और नरेंद्र मोदी नए नेतृत्व के रूप में उभरे, क्या विपक्ष के पास ऐसी कोई रणनीति होगी? अभी जिस तरह से विपक्षी एकता बेपटरी है और कांग्रेस खुद अंदरूनी राजनीति से घिरी है, ऐसा कुछ करना उसके लिए आसान नहीं लगता। फिर भी, बीजेपी के सामने चिंता की एक लकीर तो खिंच ही रही है।